दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को आयोजित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की दूसरी बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को श्री प्रवीण कुमार, अध्यक्ष, एनसीवीईटी और सचिव, एमएसडीई की अध्यक्षता में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की दूसरी बैठक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक -I पर है।

श्री प्रवीण कुमार, अध्यक्ष, एनसीवीईटी और सचिव, एमएसडीई ने बैठक की शुरुआत बैठक में भाग लेने आए सभी प्रतिभागियों के स्वागत से किया। सुश्री विनीता अग्रवाल ईएम, एनसीवीईटी ने सदस्यों का स्वागत किया और बैठक की कार्यवाही शुरू की।

एनसीवीईटी बैठकों की गणपूर्ति (कोरम)

सदस्यों ने परिषद की बैठकों की गणपूर्ति (कोरम) पर निर्णय लेने के लिए विचार-विमर्श किया। अध्यक्ष एनसीवीईटी ने प्रस्तावित किया कि एनसीवीईटी की बैठक की गणपूर्ति (कोरम) गठित निकाय का दो-तिहाई (2/3) होगा। यदि 2/3 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित कर दी जाएगी, जिसके बाद इसे फिर से बुलाया जाएगा, जिसके लिए गठित निकाय के 1/3 सदस्य बैठक का कोरम बनाएंगे। परिषद ने इसे अनुमोदित किया और और इसे अपनाया गया।

कार्यसूची मद 1: एनसीवीईटी की पहली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि
(21.7.20)

परिषद ने दिनांक 21 जुलाई 2020 को आयोजित एनसीवीईटी की पहली बैठक के कार्यवृत्त को मंजूरी दी।

कार्यसूची मद 2: पुरस्कार देने वाले निकायों और इसके संचालन नियम पुस्तिका की मान्यता और विनियमन के लिए दिशा-निर्देशों को अपनाना

परिषद को सूचित किया गया था कि विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद दिशानिर्देशों के मसौदे और परिचालन मैनुअल पर एनसीवीईटी टीम द्वारा फिर से काम किया गया था। इसके अलावा एनसीवीईटी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, दिशानिर्देश को एमएसडीई वेबसाइट, एनसीवीईटी वेबसाइट और माईगोव पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में 21 दिनों की अवधि के लिए रखे गए थे। सार्वजनिक टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात अंतिम रूप से तैयार मसौदा परिषद के अनुमोदन के लिए रखे गए थे।

प्रमुख टिप्पणियों का एक संक्षिप्त सारांश और उस पर की गई कार्रवाई को परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिषद ने दिशानिर्देशों को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया:

i. पूर्व अनुभव के तहत 'व्यवसाय' की परिभाषा में अवार्डिंग फंक्शन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एनसीवीईटी के मान्यता के बिना कोई भी संस्था पुरस्कार देने वाली संस्था के रूप में कार्य नहीं करेगी।

ii. किसी संस्था द्वारा किए गए प्रशिक्षण के रूप में पूर्व अनुभव भी प्रतिबिंबित होना चाहिए। परिषद ने निर्णय लिया कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनसंख्या या किसी अन्य प्रासंगिक डेटा के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसके लिए कट ऑफ लगभग 55 लाख युवा आबादी (15-29 आयु) हो सकती है और आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षणों की न्यूनतम संख्या का पता लगाया जा सकता है।

इसके विवरण पर अध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों द्वारा चर्चा और निर्णय लिया जाएगा। इसकी जानकारी परिषद की अगली बैठक में दी जाएगी।

कार्यसूची मद संख्या 3: मूल्यांकन एजेंसियों इसकी परिचालन नियम पुस्तिका की मान्यता और विनियमन के लिए दिशा-निर्देशों को अपनाना

परिषद को सूचित किया गया था कि व्यापक स्तर पर हितधारकों से परामर्श करने के बाद मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए गए थे और बाद में एनसीवीईटी अधिसूचना में यथा आवश्यक टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में भी रखा गया था। प्राप्त टिप्पणियों की जांच करने के बाद परिचालन नियम पुस्तिका के साथ अंतिम रूप से तैयार दिशानिर्देश परिषद के अनुमोदन के लिए रखे गए थे।

प्रमुख टिप्पणियों का एक संक्षिप्त सारांश और उस पर की गई कार्रवाई को परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिषद ने दिशानिर्देशों को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया:

i. **<u>पात्रता मानदंड - पूर्व अनुभव</u>**

परिषद ने निर्णय लिया कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनसंख्या या किसी अन्य प्रासंगिक डेटा के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है जो लगभग 55 लाख युवा आबादी (15-29 आयु) हो सकती है और किए गए मूल्यांकन के लिए कटऑफ का पता लगाया जा सकता है। इसके ब्यौरे पर एनसीवीईटी के अध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों द्वारा चर्चा और निर्णय लिया जाएगा और परिषद को इसकी अगली बैठक के बारे में सूचित किया जाएगा।

ii. **<u>मूल्यांकन एजेंसियों की परिभाषा</u>**

मूल्यांकन एजेंसियों की एक विस्तृत परिभाषा भी दिशानिर्देशों में रखी जा सकती है।

iii. <u>मूल्यांकनकर्ता की अर्हता</u>

सुश्री विनीता अग्रवाल, ईएम ने बताया कि मूल्यांकनकर्ता की अर्हता संबंधित पुरस्कार निकाय द्वारा प्रत्येक अर्हता के लिए निर्धारित की जाएगी। परिषद द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई थी, तथापि, ऐसे मामलों में जहां ये निर्धारित नहीं थे, इन कार्यवृत्तों के अनुलग्नक -II में उल्लिखित अर्हताओं का पालन किया जाएगा।

iv **दोहरी मान्यता**

अध्यक्ष, एनसीवीईटी ने सुझाव दिया कि अवार्डिंग और मूल्यांकन संबंधी कार्यों को अलग करने के लिए, दोहरी श्रेणी के तहत मान्यता प्राप्त निकायों को एक अलग मूल्यांकन बोर्ड की स्थापना की ओर बढ़ना चाहिए। जब तक इस तरह का तंत्र स्थापित नहीं किया जाता, तब तक यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि एक ही व्यक्ति प्रशिक्षण और मूल्यांकन दोनों में शामिल नहीं था।

v. **<u>मूल्यांकन शुल्क साझा करना :</u>**

अध्यक्ष, एनसीवीईटी ने सुझाव दिया कि मूल्यांकन एजेंसियों को दिए जाने वाले मूल्यांकन शुल्क का न्यूनतम प्रतिशत (अर्थात 60%) मूल्यांकन शुल्क के बंटवारे के अनुपात के बजाय दिशानिर्देशों में उल्लेख किया जा सकता है।

vi <u>एनसीवीईटी पोर्टल पर मूल्यांकनकर्ताओं का डेटा</u>

यह सुझाव दिया गया था कि एनसीवीईटी द्वारा मूल्यांकनकर्ताओं का एक कोष बनाया जाए जिसमें आधार संख्या / आधार आवेदन संख्या (आधार संख्या को छुपाने के लिए) सहित मूल्यांकनकर्ताओं का विवरण हो। 'मूल्यांकनकर्ताओं' से संबंधित दिशानिर्देशों के पैरा 7.3.2 (ख) को तदनुसार संशोधित किया जा सकता है।

कार्यसूची मद संख्या 4. निदेशक, एनसीवीईटी को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन का अनुसमर्थन।

परिषद को सूचित किया गया कि परिषद, अध्यक्ष, एनसीवीईटी और कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन परिषद द्वारा अपनी पहली बैठक में अनुमोदित किया गया था। कामकाज को आसान बनाने के लिए, दिनांक 18.8.2020 के आदेश के जरिये, कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी की शक्तियों को अध्यक्ष, एनसीवीईटी के अनुमोदन से आगे उप महानिदेशक (डीडीजी), एनसीवीईटी को प्रत्यायोजित किया गया था। चूंकि डीडीजी का स्थानातंरण हो गया था और उनके स्थान पर एक निदेशक ने कार्यभार ग्रहण किया था, इसलिए दिनांक 13.10.2020 के आदेश के

जरिये अध्यक्ष, एनसीवीईटी के अनुमोदन से कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी की शक्तियां निदेशक, एनसीवीईटी को प्रत्यायोजित की गई थीं।

परिषद से अनुरोध किया गया था कि वह कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को डीडीजी और बाद में निदेशक, एनसीवीईटी को सौंपे। परिषद ने इसकी पुष्टि की।

अतिरिक्त कार्यसूची मदें:

1. राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) की निगरानी और का युक्तिकरण

क्वालिफिकेशन ऑफ अवार्डिंग बॉडीज (एबी) के उपयोग के विश्लेषण के बारे में परिषद को सूचित किया गया। इस पर चर्चा के बाद परिषद ने एनक्यूआर को सक्रिय और आर्काइव सेक्शन में विभाजन को मंजूरी दे दी। यह निर्णय लिया गया कि यदि एबी योग्यता की संशोधन तिथि से 03 महीने पहले या एबी की मान्यता के नवीनीकरण से 3 महीने पहले अपने नवीनीकरण के लिए जमा करने में विफल रहता है, तो क्यूएफ को आर्काइव सेक्शन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अध्यक्ष की सलाह के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि संबंधित एबी को अर्हता समाप्त होने के बारे में संदेश भेजने के लिए एक तकनीकी तंत्र विकसित किया जाएगा।

2. निगरानी और प्रवर्तन तंत्र के लिए दिशानिर्देशों का विकास

परिषद को निगरानी और प्रवर्तन ढांचे के विकास के औचित्य और किए जा रहे कार्य की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। सभापति ने परिषद के सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए संकल्पना नोट परिचालित करने की सलाह दी।

3. टीवीईटी के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क का विकास

परिषद को टीवीईटी के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क के विकास की स्थिति से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि कोर कमेटी का गठन कर काम शुरू कर दिया गया है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

अनुलग्नक - I

प्रतिभागीयों की सूची :

क्र. सं.	नाम	पद और संगठन
1	श्री प्रवीण कुमार	अध्यक्ष, एनसीवीईटी
2	सुश्री विनीता अग्रवाल	कार्यकारिणी सदस्य, एनसीवीईटी
3	सुश्री सुनीता साघी	कार्यकारिणी सदस्य, एनसीवीईटी
4	सुश्री जुथिका पटंकर	एएस, एमएसडीई
5	सुश्री अलका उपाध्याय:	एस, ग्रामीण विकास मंत्रालय
6	श्री एस बी सिंह	डीडीजी एमओएलई
7	श्री वी रिन्जे	सीनियर तकनीकी निर्दशक, एनआईसी
8	श्री नरेंद्र सिंह	निर्देशक, एनसीवीईटी
9	वीरेंद्र शर्मा	निर्देशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय
10	मधुकर पांडे	युएस, एमओएचयए
11	श्री गणेश	सलाहकार, एमओएचयए
12	सुश्री निधि	सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय
13	श्री सौरभ कल्पारिया	सलाहकार, एनसीवीईटी
14	श्री सारिका दीक्षित	सलाहकार, एनसीवीईटी
15	सुश्री तन्वी सिंह	सलाहकार, एनसीवीईटी

<u>अनुलग्नक - II</u>

मूल्यांकनकर्ताओं के न्यूनतम अर्हता

यदि अर्हता फ़ाइल में मूल्यांकनकर्ता की अर्हता और अनुभव का उल्लेख नहीं है, तो निम्नलिखित में से किसी एक मानदंड का पालन किया जाएगा।

- एडवांस्ड डिप्लोमा/डिप्लोमा/आईटीआई प्रमाणपत्र/संबंधित विषय में अपने पेशेवर क्षेत्रों (न्यूनतम 2 वर्ष के प्रासंगिक उद्योग में अनुभव सहित) में न्यूनतम 3 वर्षों के अनुभव के साथ।
- सामान अर्हता (समान या उच्च स्तर) पर आरपीएल प्रमाणीकरण जिसके लिए उनके पेशेवर क्षेत्रों (न्यूनतम 4 साल के प्रासंगिक उद्योग में अनुभव सहित) में न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव के साथ मूल्यांकन किया जाना है।
- उद्योग में या प्रशिक्षक के रूप में 7-8 वर्षों के अनुभव के साथ समान या उच्च योग्यता में प्रशिक्षण।

****